

(120)


(244)

न्यायालय नीमान् राजस्व महिला - रवांडीपर, (मोर्फ)

संकेत कीटरीवा मोर्फ

प्रकाश काल R. 5445-मे/16

Rs. 30/-



R5445मे/16

1- रघुराज शिंह तन्य शिव प्रसाद शिंह,

2- राज बहोरन शिंह तन्य शिव प्रसाद शिंह,

3- मर्वजीत शिंह तन्य शिव प्रसाद शिंह, जनो मा०

बहोराडवर, धाना व ताढील मजांग, जिला रोपा मोर्फ ---

आदेक्षण / निरानी कता

अधिकारी इंजेशन्स  
केल, उत्तराखण्ड 13-10-16

जनाम

अंजेश्वर शिंह तन्य काशल ४४८-८७३ बहोराडवर, धाना व

ताढील मजांग, जिला रोपा मोर्फ --- जनो / गर निरानी कता

निरानी शिव शांत निरीक्ष

मण्डस मजांग ताढील मजांग आ फेला

शिंह - 24-6-16 मे पारित प्रक्ति ३० -

42/12/2013-14, अर्द्धानि धारा -

५० मा० ५० भू रा० मा० १९५९ ३० /

नाम्यवा,

निरानी के द्वाया निम्न लिखित है :-

1- यह कि निरानी कता नं जारा नं २३६ के बौमचा मी है,

और उनके द्वारा उनकी बौम मे गर निरानी कता गण द्वारा अद्या निक

ल्ये ने हन्ता के प करने के पारण अद्या न्यायालय कर्ता-२ मजांग मे

शिंह वित पाद नथा २ निषेधा जारी फिये जाने पावत प्रस्तुत

लिया था है, तथा उपर वह मे गर निरानी कता के विनष्ट अन्धा है

रघुराज शिंह



120

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R5445. II/16.....जिला.....रीवा.....

विरुद्ध अभिव्यक्ति संस्टुति  
रघुराज सिंह

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री लूम्बिनी कुमार प्रेमल अधिवक्ता द्वारा      यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मामापि. तहसील मामापि.....के      प्रकरण क्रमांक 421312/13-14.....में पारित      आदेश दिनांक 24-06-2016.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी      है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये      संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50      सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण      कलेक्टर.....रीवा.....के न्यायालय को अंतरित किया      जाता है। उभयपक्ष दिनांक 08-03-19.....को      कलेक्टर.....रीवा.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु      उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">/</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

लिया या है तथा उपर वह मेरे निगरानी कर्ता के विरुद्ध अभिव्यक्ति

रघुराज सिंह